"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 नवम्बर 2017—कार्तिक 12, शक 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राकेश कुमार पाण्डेय आत्मज स्व. रामसागर पाण्डेय, उम्र 57 वर्ष, निवासी-म.नं.-05/बी, सड़क नं.-10, सेक्टर-04, वार्ड क्रमांक-42, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हू. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे आधार कार्ड में मेरा सही व पूर्ण नाम राकेश कुमार पाण्डेय दर्ज है, किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम राकेश कुमार व मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम आर. के. पाण्डेय दर्ज है जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम राकेश कुमार पाण्डेय रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे राकेश कुमार पाण्डेय आ. स्व. रामसागर पाण्डेय के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

आर. के. पाण्डेय (R. K. Pandey)
राकेश कुमार (Rakesh Kumar)
पिता-स्व. रामसागर पाण्डेय (Late Ramsagar Pandey)
निवासी-म.नं.-05/बी, सड़क नं.-10, सेक्टर-04,
वार्ड क्र.-42, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

राकेश कुमार पाण्डेय (Rakesh Kumar Pandey)
पिता-स्व. रामसागर पाण्डेय (Late Ramsagar Pandey)
निवासी-म.नं.-05/बी, सड़क नं.-10, सेक्टर-04,
वार्ड क्र.-42, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कुमारी मंजू बेनर्जी आत्मजा श्री देवदास बेनर्जी उम्र 40 वर्ष, निवासी-मजदूर सभा भवन, पावर हाऊस, नंदिनी रोड, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम लीलावती बेनर्जी था तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, पेन कार्ड व अन्य आवश्यक दस्तावेजों में दर्ज है, मैं अपने पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम कुमारी मंजू बेनर्जी रख ली हूं. मेरा परिवर्तित यह नया नाम हमारे राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजों/अभिलेखों में दर्ज है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे कुमारी मंजू बेनर्जी आत्मजा श्री देवदास बेनर्जी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

लीलावती बेनर्जी
पिता-श्री देवदास बेनर्जी
निवासी-मजदूर सभा भवन, पावर हाऊस, नंदिनी रोड,
भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

कुमारी मंजू बेनर्जी
पिता-श्री देवदास बेनर्जी
निवासी-मजदूर सभा भवन, पावर हाऊस, नंदिनी रोड,
भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती विजय लक्ष्मी साहू ध.प. श्री शोभाराम साहू, उम्र 47 वर्ष, निवासी-38/2/ए, सेक्टर-10, बी. मार्केट, सिविक सेंटर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम लक्ष्मी साहू आत्मजा श्री मेघनाथ साहू था. तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मेरा विवाह 14-4-1989 को श्री शोभाराम साहू के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम विजय लक्ष्मी साहू रख ली हूं तथा यही नाम मेरे ड्रायविंग लायसेंस, पेनकार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि में दर्ज है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती विजय लक्ष्मी साहू ध.प. श्री शोभाराम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

लक्ष्मी साहू
पिता-श्री मेघनाथ साहू
निवासी-38/2/ए, सेक्टर-10, बी. मार्केट, सिविक सेंटर,
भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती विजय लक्ष्मी साहू
पति-शोभाराम साहू
निवासी-38/2/ए, सेक्टर-10, बी. मार्केट, सिविक सेंटर,
भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, एस. सूर्या नारायण आत्मज-स्व. एस. गंगईया, उम्र 57 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 3/सी, सड़क नं.-4, जोन-3, सेक्टर-11, खुर्सीपार, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस में मेरा सही नाम एस. सूर्या नारायण (S. Suraya Narayan) दर्ज है किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम एस. सूर्या नारायणन (S. Surayanarayanan) दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम एस. सूर्या नारायण रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे एस. सूर्या नारायण आ. स्व. एस. गंगईया के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

एस. सूर्यानारायणन (S. Surayanarayanan)
पिता-स्व. एस. गंगईया
निवासी-क्वा. नं. 3/सी, सड़क नं.-4, जोन-3, सेक्टर-11
खुर्सीपार, भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

एस. सूर्या नारायण (S. Suraya Narayan)
पिता-स्व. एस. गंगईया
निवासी-क्वा. नं. 3/सी, सड़क नं.-4, जोन-3, सेक्टर-11
खुर्सीपार, भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, एजाजुर्रहमान सिद्दीकी (Ajajurrahman Siddique) आत्मज स्व. एस. एम. सिद्दीकी, उम्र 59 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-4/बी, सड़क-5, सेक्टर-10, वार्ड नं. 53, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक, ड्रायविंग लायसेंस व अन्य दस्तावेजों में मेरा सही नाम एजाजुर्रहमान सिद्दीकी (Ajajurrahman Siddique) दर्ज है, किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र व मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम एजाजुर्रहमान सिद्दीकी (Ajajurrahman Siddiqui) दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम एजाजुर्रहमान सिद्दीकी (Ajajurrahman Siddique) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे एजाजुर्रहमान सिद्दीकी आ. स्व. एस. एम. सिद्दीकी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

एजाजुर्रहमान सिद्दीकी
(Ajajurrahman Siddiqui)
पिता-स्व. एस. एम. सिद्दीकी
निवासी-क्वा. नं.-4/बी, सड़क नं.-5, सेक्टर-10, वार्ड नं.-53,
भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

एजाजुर्रहमान सिद्दीकी
(Ajajurrahman Siddique)
पिता-स्व. एस. एम. सिद्दीकी
निवासी-क्वा. नं.-4/बी, सड़क नं.-5, सेक्टर-10, वार्ड नं.-53,
भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, चित्रगुप्त कापसे आत्मज श्री डी. एस. कापसे, उम्र 46 वर्ष, निवासी-सिकोला भाठा, कर्मचारी नगर के पास, दुर्ग, तहसील व जिला-दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा पूर्ण नाम चित्रगुप्त कापसे दर्ज है किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड, पेनकार्ड व आवश्यक दस्तावेजों में मेरा नाम चित्रगुप्त अंकित है जो कि अपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम चित्रगुप्त कापसे रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे चित्रगुप्त कापसे आ. श्री डी. एस. कापसे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

चित्रगुप्त
पिता-श्री डी. एस. कापसे
निवासी-सिकोला भाठा, कर्मचारी नगर के पास,
दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

चित्रगुप्त कापसे
पिता-श्री डी. एस. कापसे
निवासी-सिकोला भाठा, कर्मचारी नगर के पास,
दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, चम्पूलाल मरकाम आत्मज स्व. राम प्रसाद मरकाम, उम्र 58 वर्ष, निवासी-23 ए, जे पाकेट, मरोदा सेक्टर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मैं, भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं यह कि मेरे आधार कार्ड, बैंक पासबुक में मेरा पूर्ण व सही नाम चम्पूलाल मरकाम दर्ज है, किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम चम्पूलाल पिता राम प्रसाद दर्ज है जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम चम्पूलाल मरकाम रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे चम्पूलाल मरकाम आ. स्व. राम प्रसाद मरकाम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

चम्पूलाल
पिता-स्व. राम प्रसाद
निवासी-23 ए, जे पाकेट, मरोदा सेक्टर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

चम्पूलाल मरकाम
पिता-स्व. राम प्रसाद मरकाम
निवासी-23 ए, जे पाकेट, मरोदा सेक्टर, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

छ.ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2017/2365.—जय फुलवारी बाबा आदिवासी मछुवा सहकारी समिति मर्या. अपरखुज्जी पं. क्र. 153 दिनांक 02-09-2003 विकासखण्ड पेन्ड्रा जिला बिलासपुर (छ.ग.) को कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/597 दिनांक 10-02-2016 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री दीपक कंवर सहकारिता विस्तार अधिकारी पेन्ड्रा को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर, छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत जय फुलवारी बाबा आदिवासी मछुवा सहकारी समिति मर्या. अपरखुज्जी, पं. क्र. 153 दिनांक 02-09-2003 विकासखण्ड पेन्ड्रा जिला बिलासपुर (छ.ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-10-17 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

छ.ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2017/2366.—घासीदास खनिज सहकारी समिति मर्या. देव किरारी पं. क्र. 3805 दिनांक 01-10-1996 विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ.ग.) को कार्यालय जिला संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2008/1017 दिनांक 15-05-2008 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत आदेश क्रमांक/864 दिनांक 17-05-2012 के द्वारा धारा 70 (1) के तहत् श्री एन. आर. भगत सहकारी निरीक्षक, को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयन सहकारी संस्थाएं बिलासपुर, छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत घासीदास खनिज सहकारी समिति मर्या. देव किरारी, पं. क्र. 3805 दिनांक 01-10-1996 विकासखण्ड, बिल्हा जिला बिलासपुर (छ.ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-10-17 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

छ.ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2017/2367.—बजरंग कामगार सहकारी समिति मर्या. ऐंठुलकांपा, पं. क्र. 3934 दिनांक 05-04-1999 विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ.ग.) को कार्यालय जिला संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2008/1019 दिनांक 15-05-2008 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत आदेश क्रमांक/864 दिनांक 17-05-2012 के द्वारा धारा 70 (1) के तहत् श्री एन. आर. भगत सहकारी निरीक्षक, को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर, छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत बजरंग कामगार सहकारी समिति मर्या. ऐंठुलकांपा, पं. क्र. 3934 दिनांक 05-04-1999 विकासखण्ड, बिल्हा जिला बिलासपुर (छ.ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-10-17 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

छ.ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2017/2368.—आदिवासी मछुवा सहकाीर समिति मर्या. पोड़ी (बिटकुली), पं. क्र. 3210 दिनांक 07-01-1988 विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ.ग.) को कार्यालय जिला संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2008/1018 दिनांक 15-05-2008 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत आदेश क्रमांक/864 दिनांक 15-05-2012 के द्वारा धारा 70 (1) के तहत् श्री एन. आर. भगत सहकारी निरीक्षक, को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर, छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत आदिवासी मछुवा सहकारी समिति मर्या. पोड़ी (बिटकुली), पं. क्र. 3210 दिनांक 07-01-1988 विकासखण्ड, बिल्हा जिला बिलासपुर (छ.ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-10-17 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

छ.ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2017/2369.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. चोरभट्ठीकला, पं. क्र. 193 दिनांक 31-01-2005 विकास खण्ड तखतपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.) को कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/305 दिनांक 02-02-2015 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री एन. आर. भगत सहकारी निरीक्षक, को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर, छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. चोरभट्ठीकला, पं. क्र. 193 दिनांक 31-01-2005 विकासखण्ड, तखतपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-10-17 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

छ.ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2017/2370.—गौण खनिज कामगार सहकारी समिति मर्या. उड़नताल, पं. क्र. 110 दिनांक 26-04-2001 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ.ग.) को कार्यालय जिला संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2008/848 दिनांक 23-04-2008 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत आदेश क्रमांक/864 दिनांक 17-05-2012 के द्वारा श्री एन. आर. भगत सहकारी निरीक्षक, को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर, छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये छ.ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत गौण खनिज कामगार सहकारी समिति मर्या. उड़नताल, पं. क्र. 110 दिनांक 26-04-2001 विकासखण्ड, बिल्हा जिला बिलासपुर (छ.ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-10-17 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दिलीप जायसवाल,
उप-पंजीयक.

बिलासपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2017

संशोधित

क्रमांक/परि./2017/2312.—वस्तुतः कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/1911 बिलासपुर दिनांक 14-08-2017 द्वारा श्री अरूण कुमार शर्मा सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या. अज्ञेयनगर बिलासपुर पं. क्र. 3819 दिनांक 26-11-96 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर का परिसमापक नियुक्त किया गया था. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री शर्मा के स्थान पर सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 04-10-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2017

संशोधित

क्रमांक/परि./2017/2313.—वस्तुतः कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/1910 बिलासपुर दिनांक 14-08-2017 द्वारा श्री अरूण कुमार शर्मा सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को महिला बेकरी उद्योग सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर पं. क्र. 478 दिनांक 14-09-1994 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर का परिसमापक नियुक्त किया गया था. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री शर्मा के स्थान पर सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 04-10-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2017

संशोधित

क्रमांक/परि./2017/2314.—वस्तुतः कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/1909 बिलासपुर दिनांक 14-08-2017 द्वारा श्री अरूण कुमार शर्मा सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को भवानी महिला बहुद्देशीय सहकारी, समिति मर्या. बसिया पं. क्र. 122 दिनांक 02-11-2001 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर का परिसमापक नियुक्त किया गया था. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री शर्मा के स्थान पर सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 04-10-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2017

संशोधित

क्रमांक/परि./2017/2315.—वस्तुतः कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/1912 बिलासपुर दिनांक 14-08-2017 द्वारा श्री अरूण कुमार शर्मा सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को म्युनिसपल हरिजन कर्मचारी थ्रिप्ट सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर पं. क्र. 435 दिनांक 15-7-1982 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर का परिसमापक नियुक्त किया गया था. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री शर्मा के स्थान पर सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 04-10-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2017

संशोधित

क्रमांक/परि./2017/2316.—वस्तुतः कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/1158 बिलासपुर दिनांक 13-04-2015 द्वारा श्रीमती नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक को सांई साख सहकारी समिति मर्या. लालखदान बिलासपुर पं. क्र. 238 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर का परिसमापक नियुक्त किया गया था. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती नमिता विश्वास के स्थान पर सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को परिसमापक नियुक्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 04-10-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

उषा ध्रुव,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.